



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
जिला-कोंडागांव (छ.ग.)

Tel. / Fax: 07786-242303

E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि./.....1580

कोंडागांव, दिनांक

14-3-2017

प्रति,

पुलिस अधीक्षक

जिला कोंडागांव (छ.ग.)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक

विषय:-

आवेदनकर्ता पुलिस अधीक्षक कोंडागांव का कोंडागांव जिले में दक्षिण कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-773 के 5.00 हे. वन भूमि में पुलिस फायरिंग रेंज निर्माण के गैर वानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

-प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/Others/8948/2014.

संदर्भ:-

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ -5-45 /2016/10-2, दिनांक 25/02/2017.

मु.लि.

संदर्भित पत्र द्वारा नवगठित जिला कोंडागांव में पुलिस फायरिंग रेंज निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक पी-773 में से 5.00 हेक्टेयर वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को राज्य शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों के साथ प्रथम चरण स्वीकृति जारी किया गया है, जिसमें शर्त क्रमांक-2 (अ) के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली 5.00 हेक्टेयर वन भूमि का शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (Net Present Value) आवेदक संस्थान को जमा करना होगा। राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1. शर्त क्रमांक-2(अ) के अनुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि इक्को क्लास के आधार पर प्रति हेक्टेयर 9,39,000x5.00 हे.=46,95,000/- रुपये (छयालिस लाख पंचानब्बे हजार) मात्र।

उपरोक्तानुसार राशि रुपये 46,95,000/- (रु. छयालिस लाख पंचानब्बे हजार) मात्र ई चालान आन लाईन पोर्टल के माध्यम से निम्न खाता में जमा करते हुये सत्यापित पावती एवं शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन हेतु वचन पत्र तैयार कर 04-04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ कैम्पा खाता क्रमांक-037100101025203

वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव

पृ.क्रमांक/मा.चि./.....1581

कोंडागांव, दिनांक

14-3-2017

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है। कृपया राशि गणना में विषंगति हो तो आवश्यक मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, ताकि पुनरीक्षित गणना कर आवेदक विभाग को सूचित किया जा सकें।
2. उपवनमंडलाधिकारी, पश्चिम कोंडागांव की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है। संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव